9 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–

9.1 कोई भी शासकीय सेवक 20 की अर्हतादायी सेवा पूर्ण करने के पश्चात नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को प्रपत्र 28 में कम से कम एक माह की नोटिस देकर किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकता है ।

(3) परन्तु निम्नलिखित विभागों के शासकीय सेवकों के जब तक उन्होंने 25 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण नहीं कर ली हो उन्हें पात्रता नहीं होगी ।

(क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा, सह– चिकित्सा (पैरा मेडिकल) और तकनीकी स्टाफ)

(ख) चिकित्सा शिक्षा विभाग, (अध्यापनस्टाफ, सह–चिकित्सा (पैरा–मेडिकल) और तकनीकी स्टाफ)

(ग) तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग (अध्यापन स्टाफ)

(घ) उच्च शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ)

(ड) स्कूल शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ)

(च) आदिम जाति कल्याण विभाग (अध्यापन स्टाफ)

(छ) गृह (पुलिस) विभाग (अलिपिक वर्गीय)

परंतु यह और भी कि ऐसा सरकारी सेवक, नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना, निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :–

(एक) जहॉ सरकारी सेवक निलंबन के अधीन हो ।

(दो) जहॉ सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करना नियुक्ति प्राधिकारी के विचाराधीन हो ।

परंतु यह भी कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने सरकारी सेवक द्वारा दी गई सूचना की तारीख से छः माह के भीतर द्वितीय परन्तुक के खण्ड (दो) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अर्हता सेवा का जोड़ना :– सेवा निवृत्ति होने वाले शासकीय सेवक की आशायित सेवा निवृत्ति की तारीख पर जो अर्हता सेवा हो, उसमें अधिकतम पांच वर्ष की वृद्धि इस आशय से की जायेगी कि शासकीय सेवक की कुल अर्हता सेवा तैतीस (33) वर्ष से अधिक नही हो और जो अधिवार्षिकी की तारीख से परे नही हो।